# महिला अधिकारिता अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रमो का विवरण

महिलाओ का विकास और सशक्तिकरण राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में रहा है। महिलाओं के समग्र विकास की परिकल्पना तब तक यथार्थ में परिणित नही हो पायेगी जब तक की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास की सभी धाराओ में महिलाओं के योगदान को मान्यता नही मिलती और उनकी भूमिका को उत्तरोत्तर प्रोत्साहित नही किया जाता है। महिलाओं को शिक्षा स्वास्थ्य, पोषण, परिवार, कल्याण, रोजगार तथा प्रशिक्षण एवं उनका सामाजिक सशक्तिकरण महिला अधिकारिता के प्रमुख क्षेत्र है। कार्यक्रम की पद्वति गुणात्मक होनी अपेक्षित है, जिससे महिलाओं विशेषकर ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास एवं जागरूकता की भावना जागृत हो तथा विचारों एवं सोच में परिवर्तन लाना संभव हो सके।

## महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम

राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दृष्टि से स्वयं सहायता समूह कार्यकम वर्ष 1997–98 से संचालित किया जा रहा है। यह कार्यकम राज्य के सभी 33 जिलों में संचालित है। इस कार्यकम के अन्तर्गत 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय से समूह बनाती है तथा अपनी छोटी–छोटी बचतों के माध्यम से, सहयोग, स्वावलम्बन की प्रवृतियां विकसित करती है एवं स्वरोजगार की ओर अग्रसर होती हैं।

## प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना

वर्ष 2009–10 में प्रारंभ की गई प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना की कियान्विति निरंतर रूप से की जा रही है। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में 10 श्रेष्ठ स्वयं सहायता समूहों का चिन्हीकरण कर उन्हे विभाग द्वारा अनुमोदित स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से आमुखीकरण एवं प्रबन्धकीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण दिलाये जाते है इसके पश्चात् उन्हे स्थानीय आवश्यकता एवं विपणन सम्भावना अनुसार आयसृजक प्रशिक्षण दिलवाकर स्वरोजगार की ओर अग्रसर किया जाकर प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह के रूप में विकसित किया जाता है। ये आदर्श समूह SHG कार्यक्रम संचालन के लिए निर्धारित सभी प्रकिया एवं मानदण्डों को पूरा करते हुए क्षेत्र में संचालित अन्य समूहों के लिए एक आदर्श प्रतीक एवं प्रेरणा का कार्य करेगे एवं इन्हें देख कर अन्य समूह भी अपनी गतिविधियों को व्यवस्थित कर सकेगे।

योजना अंतर्गत प्रत्येक जिले में चिन्हित 10 SHG को चयनित NGO के माध्यम से कुछ सूचकों को प्राप्त करने की स्थिति में ही उस समूह को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह घोषित किया जाएगा। इन सूचकों में समूह की नियमित मासिक बैठक, उनमें बचत–ऋण के साथ–साथ सामाजिक मुददों पर भी चर्चा, नियमित रिकॉर्ड संधारण, नियमित रूप से आंतरिक लेन–देन, अपने ऋण का निर्धारित अवधि में 100 प्रतिशत पुनर्भुगतान करने के साथ–साथ समूह के स्थायी रूप से आयजनक गतिविधियों में संलग्न होकर उनके 60 प्रतिशत सदस्यों की कम से कम 1100/– प्रतिमाह आय होनी चाहिये। (संलग्न– आवश्यक विवरण)

**अमृता SHG पुरस्कार योजना** : राज्य स्तर पर प्रति वर्ष एक महिला स्वयं सहायता समूह एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाले एक सवश्रेष्ठ स्वयं सेवी सगठनं को कमश रूपये 50000 एवं रूपये 20000 का पुरस्कार दिया जाता है। इस हेतु समाचार पत्रों मे विज्ञप्ति प्रकाशित की जाकर जिलों से अनुशंषित प्रस्तावों पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा चयन किया जाता है।

# राजस्थान सरकार
# निदेशालय महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ 13 (1)( )WE/WSHGI/प्रियदर्शिनी/14–15/29110 जयपुर, दिनांक 17-09-2014

## प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना

## परिपत्र

प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 10 महिला स्वयं सहायता समूहों को आदर्श समूहों के रूप में विकसित किया जाना है। ये आदर्श समूह SHG संचालन के लिए निर्धारित सभी मापदण्डों को पूरा करते हुए क्षेत्र में संचालित अन्य समूहों के लिए एक प्रतीक एवं प्रेरणा का कार्य करेंगें एवं इन्हें देखकर अन्य समूह भी अपनी गतिविधियों को व्यवस्थित कर सकेंगें। योजनान्तर्गत जिलों में 10 समूहों के चिन्हीकरण हेतु निम्न प्रकिया अपनायी जायेगी:–

### प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह हेतु समूहों का चिन्हीकरण –

इस हेतु प्रत्येक जिले में संबंधित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दस महिला स्वयं सहायता समूहों का प्रियदर्शिनी आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में विकसित करने हेतु चयन किया जायेगा। स्वयं सहायता समूहों के चयन के लिए निम्न मापदण्ड रखे गये है:–

1. समूह कम से कम एक वर्ष पुराना हों।
2. चयनित समूह के पदाधिकारी शिक्षित हों।
3. समूह का बैंक में खाता खुल चुका हो।
4. समूह के आधे से ज्यादा सदस्य आन्तरिक लेन–देन में संलग्न हों।
5. समूह द्वारा कम से कम एक बार ऋण प्राप्त कर लिया गया हो।

चूंकि स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम का मुख्य ध्येय महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ले जाना है अतः संबंधित जिले के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूहों हेतु प्राथमिकता से एक जैसी आयजनक गतिविधि वाले एवं एक ही क्षेत्र के समूहों को चिन्हीत किया जाना चाहिए, ताकि इन आदर्श समूहों एक कलस्टर के रूप में विकसित किया जा सके।

समस्त जिलों में उक्त मानदण्डों के अनुसार समूहों के चिन्हिकरण हेतु उपनिदेशक/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिले के समस्त बाल विकास परियाजना अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे तथा बाल विकास परियोजनाधिकारियों द्वारा चिन्हीत स्वयं सहायता समूहों की सूचना निम्न प्रपत्र में कार्यक्रम अधिकारी को निर्धारित तिथि तक प्रेषित की जायेगी ।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | समूह का नाम | ग्राम/ब्लाक /जिला | समूह गठन की दिनांक | पदाधिकारियों के नाम एवं उनकी शिक्षा | बैंक एवं उसकी शाखा का नाम जिसमें समूह का खाता हो | आंतरिक लेन–देन कर रहे समूहों के सदस्यों की संख्या | समूह द्वारा कितनी बार ऋण लिया गया हैं |
| | | | | | | | |

स्वयं सेवी संगठनों के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर निदेशक, महिला अधिकारिता की अध्यक्षता में गठित निम्नलिखित राज्य स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण किया जाकर निर्धारित तिथि तक श्रेष्ठ एवं पात्र स्वयं सेवी संगठनों का चयन किया जायेगा:–

1. अतिरिक्त निदेशक(SHG),सदस्य सचिव
2. मुख्य लेखाधिकारी
3. नाबार्ड प्रतिनिधि
4. उपनिदेशक (SHG)
5. कार्यक्रम अधिकारी, रिसर्च
6. कार्यक्रम अधिकारी, मार्केटिंग
7. कार्यक्रम अधिकारी, प्रशिक्षण

उक्त समिति द्वारा संस्था के प्रस्ताव एवं संपादित की गई गतिविधियों का विस्तृत विवेचन कर श्रेष्ठ स्वयं सेवी संगठनों का चयन किया जायेगा। आवश्यकता होने पर स्वयं सेवी संगठनों द्वारा अपने प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण पावर प्वाईंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से किया जायेगा। चयनित संस्थाओं के कार्यों का संबंधित कार्यक्रम अधिकारी से भी प्रमाणीकरण करवाया जायेगा। आवश्यकता होने पर निदेशालय स्तरीय अधिकारी को संबंधित ब्लाक में भेजकर चिन्हित स्वयं सहायता समूहों एवं स्वयं सेवी संगठन का प्रमाणीकरण करवाया जायेगा।

राज्य स्तरीय समिति द्वारा चयनित संस्थाओं के माध्यम से जिलों में चिन्हित स्वयं सहायता समूहों को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह के स्तर तक ले जाने आमुखीकरण , प्रबंधकीय क्षमतावर्द्धन, उद्यमिता विकास एवं गुणवत्ता उन्नयन, आयजनक तथा मार्केट लिंकेज प्रशिक्षण आयोजित करवाये जाकर इन समूहों को कलस्टर के रूप में विकसित एवं स्थापित किया जायेगा। इस हेतु चयनित संस्था एवं संबंधित जिलें के कार्यक्रम अधिकारी के मध्य एक अनुबंध संपादित किया जाएगा तथा अनुबंध की शर्तो के आधार पर संस्था द्वारा संपूर्ण कार्य निष्पादित किया जायेगा। संस्थाओं के कार्य का निरंतर सुपरविजन जिला/ब्लाक स्तर के विभागीय अधिकारियों के माध्यम से किया जायेगा।

**<u>चिन्हित समूहों को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह घोषित किये जाने संबंधी सूचक/आउटकम :–</u>**

उपरोक्तानुसार प्रत्येक जिले में चिन्हित 10 स्वयं सहायता समूहों को चयनित स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से निम्न सूचकों को प्राप्त करने की स्थिति में तथा संबंधित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्पष्ट टिप्पणी प्राप्त होने पर ही उस समूह को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह घोषित किया जायेगा :–

1. समूह की नियमित मासिक बैठक होने लगी हो।
2. समूह बैठक में बचत–ऋण के साथ. सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होन लगी हो।
3. समूह का नियमित रूप से रिकार्ड संधारण हो रहा हो।
4. समूह द्वारा नियमित रूप से बचत की जा रही हो।
5. समूह द्वारा नियमित रूप से आंतरिक लेन–देन किया जा रहा हो।
6. समूह द्वारा अपने ऋण का निर्धारित अवधि में 100 प्रतिशत पुनर्भुगतान कर दिया गया हो।
7. समूह स्थायी रूप से आयजनक गतिविधि में संलग्न हो गया हो।
8. समूह के कम से कम 60 प्रतिशत सदस्यों की न्यूनतम आय 1100/– रूपये प्रतिमाह या इससे अधिक होने लगी हो।

## महिलाओं को निःशुल्क बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना

राज्य सरकार ने अपनी बजट घोषणा संख्या 97 वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत राज्य की सभी वर्ग की महिलाओं को कंप्यूटर बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा करवाने एवं निर्धारित फीस की राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने का निर्णय लिया। निदेशालय, महिला अधिकारिता विभाग अन्तर्गत भी एक 'अमृता आई0टी0 ज्ञान केन्द्र' संचालित किया जा रहा है। महिलाओं एवं बालिकाओं को दो प्रकार के कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत दिये जा रहे हैं। प्रथम 'राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इनफोरमेशन टेकनोलोजी' (RS-CIT) एवं द्वितीय 'डिजिटल सहेली'।

RS-CIT प्रशिक्षण 3 माह की अवधि के लिए है। जिसमें 16–40 आयु वर्ग की 10वीं पास महिला पात्र हैं। डिजिटल सहेली प्रशिक्षण 1 माह की अवधि के लिए है। जिसमें 16–40 आयु वर्ग की 5वीं पास महिला पात्र है। (संलग्न– आवश्यक विवरण)

## स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आयसृजक गतिविधि प्रशिक्षण

स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन उपरान्त महिलाओं को उद्यमिता विकास, दक्षता निर्माण एवं कौशल उन्नयन, आयजनक गतिविधि प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार की ओर अग्रसर किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण निदेशालय महिला अधिकारिता, राज्य एवं जिलों में स्थापित विभिन्न रूडसेटिज, अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिजायन सेन्टर (ATDC), राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान (NIFT) तथा खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से आयोजित किये जाते है।

**सिलाई प्रशिक्षण** – 15 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण में सभी महिलाओं को तुरपाई लगाना, काज बटन बनाने के साथ ही पेटिकोट, सलवार, कुर्ता, ब्लाउज एवं फ्राक की ड्राफ्टिंग एवं कटिंग सीखाये जाने के साथ ही प्रत्येक महिला से पेटिकोट, सलवार, कुर्ता, ब्लाउज एवं फ्राक की अलग–अलग कटिंग व सिलाई भी करवायी जाती है।

इसी के साथ मशीन में होने वाली छोटी खराबी को सुधारना, मशीन में तेल डालना, सूई लगाना आदि कार्य भी सिखाया जाता है।

सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बहुत सी महिलाओं ने इसे रोजगार के रूप में अपनाया है।

**ब्यूटीपार्लर प्रशिक्षण** – 15 दिवसीय ब्यूटि पार्लर प्रशिक्षण में महिलाओं को थ्रेडिंग, हिना, हेयर कटिंग, हेयर स्टाइल, मेहन्दी, वैक्सिंग, पैडीक्योर/मैनीक्योर, ब्लीच, फेशियल एवं ब्राइडल मेकअप सीखाया जाता है। सभी महिलाओं से अधिक से अधिक प्रायोगिक कार्य करवाया जाता है जिससे उन्हे अभ्यास हो सके।

इस विषय के अतिरिक्त महिलाओं को अपने व्यक्तित्व विकास बोलने का तरीका एवं पहनावे के बारे में विशेष तौर से जानकारी दी जाती है।

ब्यूटी पार्लर कोर्स के बाद महिला अपना पार्लर कैसे शुरू कर सकती है इसके लिए आवश्यक सामग्री अनुमानित राशि, स्थान चयन एवं लोन (ऋण) के विषय में जानकारी दी जाती है।

ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाओं ने अपना काम शुरू किया है। कुछ महिलाओं ने अपना पार्लर खोला है, कुछ पार्लर पर काम कर रही है तथा कुछ होम सविर्स भी दे रही है। साथ ही शादी विवाहों में मेहन्दी लगाने का काम भी कर रही है।

**आर्टिफीशल ज्वैलरी**– 10 दिवसीय आर्टिफीशल ज्वैलरी प्रशिक्षण मे सर्वप्रथम पुवाई एवं डोरी बंधाई का कार्य सीखाया जाता है।

ज्वैलरी में मीना भरने के लिए कुप्पी बनाना एवं उसकी मात्रा तैयार करने के साथ ही मीना भरना, नगो की जडाई करना, ड्राप लगाना, मीना मणि बांधना, सीखाया जाता है।

मंगलसूत्र बनाना एवं उसके डिजायन तैयार करना ज्वैलरी के डिजायन एवं साइज के अनुसार मोती, नग, कुंदन, LCD आदि का चयन करना।

ज्वैलरी की पैकिंग करना, सामान की उपलब्धता एवं ज्वैलरी की दर का निर्धारण करना, अपना कार्य शुरू करने पर लागत एवं सामग्री के बारे में भी बताया जाता है।

उपरोक्त सभी प्रशिक्षणार्थी से किसी भी प्रकार का शुल्क नही लिया जाता है। प्रशिक्षण सामग्री के दौरान प्रशिक्षणार्थी के लिए भोजन, आवास, एवं प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था निशुल्क है।

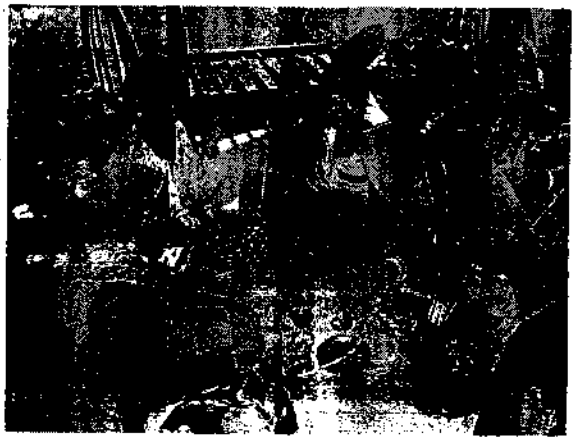

**ए.टी.डी.सी. (ATDC)** – "अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजायन सेन्टर" के माध्यम से स्मार्ट बैसिक आपरेटर (SOB) 45 दिवसीय कोर्स करवाया जा रहा है। प्रशिक्षण में महिलाओं को

कफ, कालर, सिलाई, काजबटन, आवरलाक, फ्लेट लाक का प्रशिक्षण मशीनों के द्वारा दिया जाता है।

**एन.आई.एफ..टी. (NIFT)** – "नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलोजी" जोधपुर के माध्यम से जोधपुर में 20 दिवसीय स्किल डवलपमेन्ट प्रोग्राम (SDP) कराया जाता है। प्रशिक्षण के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को फैशन मार्केटिंग, स्टॉफ मैनेजमेन्ट, सोफ्ट स्किल एण्ड रिलेशनशिप मैनेजमेन्ट, फेब्रिक नॉलेज, रिटेल आपरेशन एण्ड प्रोडक्ट नालेज से संबंधित प्रशिक्षण कराया जाता है।

प्रशिक्षण के अतिरिक्त जिलों में रूडसेटी/आरसैटी के माध्यम से सिलाई, कशीदाकारी, बैग मेकिंग, पेपरमेशी, साबुन, सर्फ, अगरबत्ती, मोमबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

सभी प्रशिक्षण निःशुल्क है।

# कास्ट्यूम ज्वैलरी

पूर्व में परम्परागत तरीके से धागे व चीड की सहायता से विभिन्न डिजाइनों में तैयार की गई ज्वैलरी ही कस्ट्यूम ज्वैलरी के नाम से जानी जाती है। पहले इसमें मुख्य रूप से हार एवं मंगलसूत्र आदि में डोरी बंधायी का कार्य ही होता था जिसे पटवा कार्य का नाम दिया जाता था।

वर्तमान में इसमें काफी नये प्रयोग किये गये हैं जिसमें धागे की गुंथायी, पुवाई एवं अलग–अलग प्रकार के बीट्स के साथ में पेन्डिल का प्रयोग कर गले के हार, ब्रेसलेट आदि बनाये जाते हैं।

वर्तमान में कास्ट्यूम ज्वैलरी युवा वर्ग में काफी प्रचलित है और इसे बहुत पसंद किया जा रहा है।

## हाट बाजार

महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों के आर्थिक उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण हेतु समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं को विपणन प्रदर्शन एवं सवंर्धन तथा उनके उत्पादों को मार्केट उपलब्ध करवाने हेतु वर्ष 2005 से हाट बाजारों का आयोजन किया जा रहा है। हाट बाजारों में समूह की महिलाओं के आने से उनके उत्पादों को मार्केट तो उपलब्ध होता है साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान से बाहर आकर सामग्री बेचने का अवसर भी मिलता है तथा उन्हें दक्षता भी मिलती है। जिससे समूह सदस्यों को आर्थिक विकास के साथ–साथ मनोबल भी मिलता है।

विभाग द्वारा वर्ष 2005 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मेले आयोजित किये रहे है। वर्ष 2005 से वर्ष 2008 तक इन मेलों का आयोजन एसएचजी हाट के रूप में किया गया, तत्पश्चात वर्ष 2009 से यह आयोजन अमृता के बैनर तले अमृता हाट के नाम से किया जा रहा है, ताकि महिला स्वयं सहायता समूहों के अमृता ब्राण्ड को लोकप्रिय बनाकर विपणन अवसरों में निरन्तर प्रगति लाई जा सके। इनमें राजस्थान के साथ जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड,पंजाब, बंगाल एवं उडीसा आदि राज्यो के स्वयं सहायता समूह भी भाग लेते है। विभागीय मेलों के अतिरिक्त अन्य विभागीय/राज्यों द्वारा आयोजित मेले में भी राज्य से समूहों को भेजा जाता है।

# अमृता सोसायटी

महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन/मार्केट लिंकेज के लिए अमृता सोसायटी का गठन दिनांक 04–11–2008 को राजस्थान संस्था रजि. अधिनियम 1958 के अन्तर्गत किया गया है। अमृता सोसायटी की अन्तर्गत विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन हेतु उनकी पहचान स्थापित करने के लिए लोगों का पंजीकरण करा लिया गया है तथा अमृता सोसायटी के माध्यम से विभाग द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के विपणन हेतु अधिकतम सुअवसर प्रदान किये जा रहे है। कोई भी महिला स्वयं सहायता समूह अमृता की सदस्यता का शुल्क रू. 100 जिला स्तर कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर अमृता का सदस्य बन सकता है।

राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2012–13 की क्रम संख्या 75.1 की क्रियान्विती के क्रम में वित्त विभाग के आदेशानुसार सरकारी विभागों द्वारा बिना निविदा प्रणाली अपनायें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग – 2 के नियम – 30 के अन्तर्गत "अमृता सोसायटी" राजस्थान जयपुर के माध्यम से निर्धारित सामग्री जैसे स्टेशनरी, खाद्य उत्पादों का क्रय नियमानुसार किया जा सकता है।

- **अमृता आई.टी. ज्ञान केन्द्र** : कम्प्यूटर शिक्षा की महत्ता को देखते हुए बालिकाओं/महिलाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा देने के लिए निदेशालय में जुलाई, 2011 से अमृता आई.टी. ज्ञान केन्द्र का संचालन अमृता सोसायटी के अंतर्गत किया जा रहा है। जिसमें 'राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इनफोरमेशन टेकनोलोजी' (RS-CIT) एवं 'डिजिटल सहेली' कोर्सेज महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क किये जाते है।

- **अमृता उत्पाद** : अमृता सोसायटी के सदस्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा विविध प्रकार के उत्पादों का निर्माण/मूल्य संवर्धन किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से आर्टिफिशियल ज्वैलरी, लाख की चूड़ियाँ एवं अन्य उत्पाद, पेपरमेशी, खिलौने, खाद्य उत्पाद (पापड़, मंगोड़ी, राबोड़ी, जीरावन, अचार, सेवईयाँ, चिप्स, नमकीन आदि), हैण्डमेड पेपर उत्पाद, स्टेशनरी, सजावट की सामग्री, वस्त्र, चद्दरें, दरियाँ, क्रोशिया उत्पाद, मौजड़ी, बैग्स, मोलेला उत्पाद, माउथफ्रैशनर्स, सफाई के उत्पाद (साबुन, सर्फ, फिनायल, डिशवॉशर आदि), कपड़े की थैलियाँ, आर्टिफिशियल फ्लॉवर्स, पेन्टिंग्स, दोना पत्तल आदि शामिल है।

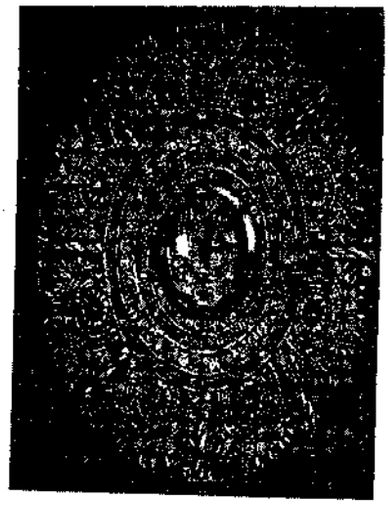
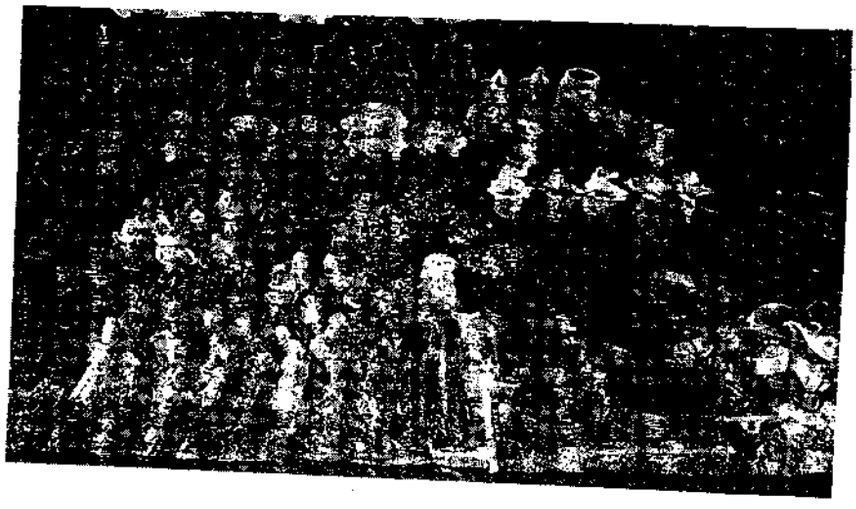

## सहरिया जनजाति की महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु विशेष योजना

वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ इस योजना में बारां जिले के सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों के महिला स्वयं समूहों का गठन किया गया है और उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से साख से जोडा जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को सीडमनी दिया जाना भी इस योजना का भाग है। प्रशिक्षण के माध्यम से समूहों का कौशल उन्नयन एवं उद्यमिता विकास किया जा रहा है। बैंक ऋणों पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी उपलब्ध कराया जायेगा। मई, 2014 तक 1008 समूहों का गठन किया जा चुका है। इनमें से 463 समूहों को बैंको से जोडा जा चुका है। अब तक 940 सहरिया स्वयं सहायता समूह पदाधिकारियों को प्रबन्धकीय क्षमता एवं आमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जा चुका है, तथा 860 समूहों को (प्रति समूह 10 हजार रूपये) सीड मनी भी प्रदान की जा चुकी है।

# श्री नागणेची समूह, कोलायत बीकानेर की सफलता की कहानी

इस महिला समूह से 10 महिलाये जुडी है। समूह प्रत्येक माह निश्चित समय और निर्धारित दिनांक को

बैठक आयोजित करता है। समूह ने अपना खाता SBBJ, कोलायत में खुला रखा है। समूह कि प्रत्येक महिलायें प्रतिमाह 100 रूपये की बचत जमा करवाती है।

प्रत्येक माह की बैठक में महिलायें चर्चा करती है कि महिलाओं की आय कैस बढाये सभी महिलाओं ने काफी विचार विमर्श किया और अन्त में यह निर्णय लिया गया कि सभी महिलाओं के घर में दूध की आवश्यकता रहती है। अतः बैंक से ऋण लेकर गायें खरीद ली जाये ताकि दूध की घरेलु आवश्यकता की पूर्ति हो सके एवं शेष बचे दूध को बेचकर आय अर्जित की जा सके। इस निर्णय के बाद सभी महिलायें बैंक गई और उन्होने बैंक प्रबंधक से जानकारी चाही कि हमारे समूह को अधिकतम कितना ऋण मिल सकता है। जब बैंक प्रबंधक ने पूँछा कि आप ऋण लेकर क्या करना चाहते हो, तो समूह की महिलाओं ने अपनी कार्ययोजना बताई तब बैंक प्रबंधक ने बताया कि आपके समूह को अधिकतम दो लाख रूपये का ऋण हो सकता है।

समूह ने बैंक से ऋण प्राप्त कर गायें खरीदी जिसके फलस्वरूप समूह की प्रत्येक महिला के पास स्वयं की गाय है। गाय से जितना दूध मिलता है उसका उपयोग पहले अपने घर में करती है। उसके बाद जो दूध बचता है उसको बेचकर अपनी ऋण कि किश्त प्रतिमाह जमा करवा रही है। आज समूह की महिलाओं को प्रतिमाह रूपये 2000/–का लाभ हो रहा है और महिलायें बहुत खुश है क्योंकि न केवल घरेलू उपयोग हेतु शुद्व दूध मिल रहा है बल्कि 2000 रूपये प्रतिमाह की बचत भी हो रही है। समूह की महिलाऐं अन्य महिलाओं को भी समूह से जुडकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात कह रही है।

## झांतला माता, स्वयं सहायता समूह, मांडल, जिला–भीलवाड़ा को उचित मूल्य की दुकान संचालन से मिली पहचान

''संघर्ष में महिलाऐं अकेली होती है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है
जब-जब जग उस पर हँसा है, तब-तब उसी ने इतिहास रचा है।''

भीलवाड़ा जिले के मांडल ब्लॉक की कुछ गरीब महिलाऐं दिन भर काम की तलाश में इधर–उधर भटका करती थी। आर्थिक झंझवतों से परेशान इन महिलाओं की मुलाकात आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता से हुई जिसने उन्हें स्वयं सहायता समूह बनाने के लिये प्रेरित किया। इसी प्रेरणा के फलस्वरूप श्रीमती सीमा विश्नोई के नेतृत्व में इन मजदूर महिलाओं ने झांतला माता स्वयं सहायता समूह का गठन किया तथा मासिक बचत के माध्यम से आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की। महिला एवं बाल विकास की प्रचेता ने उचित मूल्य की दुकान के आवंटन तथा दुकान संचालन के लिये एक मुश्त अनुदान राशि ₹75,000 दिये जाने के प्रावधान के बारे में बताया। जिससे प्रेरित होकर समूह ने विभाग के माध्यम से जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में आवेदन किया एवं 25 मार्च 2011 को समूह को उचित मूल्य की दुकान का आवंटन हुआ तथा 1 अप्रैल 2011 को एक मुश्त अनुदान की राशि रूपये 75,000/– प्राप्त हुई जिससे दुकान हेतु आवश्यक सामग्री एवं रसद की खरीद की गई।

वर्तमान में उचित मूल्य की दुकान के संचालन से महिला स्वयं सहायता समूह को ₹3500 मासिक आय हो रही है। जो समूह की सभी महिलाओं में उनके द्वारा किये जा रहे कार्य के अनुसार आनुपातिक रूप में वितरित की जाती है। उचित मूल्य की दुकान के संचालन के पश्चात इससे होने वाली आय से समूह की महिलाओं के जीवन स्तर में अपेक्षित परिवर्तन आया है, तथा समूह की महिलायें मांडल क्षेत्र की महिलाओं के लिये सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रतीक बन गई है।

**SHG ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना**

1 जुलाई 2010 के बाद ऋण लेने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों को रूपये 50000/– तक की राशि पर राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। यदि स्वयं सहायता समूह रूपये 50000/– से अधिक का ऋण लेता है तो भी वह योजना का लाभ केवल रूपये 50000/– तक की ऋण राशि पर ही प्राप्त कर सकेगा। यह लाभ समूह को कुल जीवन काल में एक ही बार प्राप्त होगा। राज्य स्तर पर विभिन्न वाणिज्यिक व ग्रामीण बैंको हेतु SBBJ को तथा को–ऑपरेटिव बैंक हेतु राजस्थान राज्य शीर्ष सहकारी बैंक को राज्य नोडल बैंक निर्धारित किया गया है। (संलग्न– आवश्यक विवरण)

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

# महिला SHG's को बैंक ऋण पर 50% ब्याज अनुदान योजना

1. राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को अधिकाधिक बैंक ऋण दिलवाकर उनकी छोटी–मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए प्रोत्साहित करने के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 10–11 के बजट में SHG ऋण ब्याज अनुदान योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत योजना में निहित प्रावधानों के अनुसार योग्य पाये जाने वाले 30000 महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले ऋण पर राज्य सरकार द्वारा 50% ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

2. 1 जुलाई, 2010 के पश्चात स्वरोजगार हेतु ऋण लेने वाले समूहों को ही उक्त योजना का लाभ देय होगा एवं समूह को अपने कुल जीवन काल में यह लाभ एक बार ही प्राप्त होगा। अतः ऐसे सभी महिला स्वयं सहायता समूह जिन्हें किसी प्रकार का वित्तीय अनुदान प्राप्त नहीं हुआ हो, तथा 1 जुलाई, 2010 के पश्चात ऋण प्राप्त करते हैं, चाहे वह ऋण उनका पहला, दूसरा अथवा तीसरा ऋण हो, किंतु उन्हें एक बार ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। चाहे ऋण राशि कुछ भी हो, समूह को यह लाभ अधिकतम रु 50000 की ऋण सीमा तक ही मिलेगा।

3. योजना का कार्यक्षेत्र

   योजना का लाभ 1 जुलाई, 2010 के पश्चात ऋण लेने वाले गैर अनुदानित महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया जायेगा। कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान होगा।

4. परिभाषाएं

1. **बैंक**– बैंक से अभिप्राय वैधानिक तरीके से गठित बैंक एवं उनकी शाखाएं हैं, यथा राष्ट्रीयकृत बैंक एवं उनकी शाखा, राजस्थान राज्य कॉपरेटिव बैंक और उनकी शाखाएं, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा उनकी शाखाएं तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उनकी शाखाएं।

2. **डिफाल्ट**–यहां डिफाल्ट से अभिप्राय यह है कि संबंधित बैंक द्वारा जब भी किसी ऋण खाते को NPA घोषित कर दिया जावे।

3. **स्वयं सहायता समूह**– स्वयं सहायता समूह को SHG भी कहा गया है। इससे अभिप्राय 10 या 10 से अधिक महिलाओं के समूह से है, जो कि अलग–अलग परिवार की महिलाएं हो तथा अपने सामाजिक व आर्थिक उन्नयन हेतु संगठित होकर सामूहिक रूप से निर्णय लेती हैं।

4. **नोडल बैंक**– नोडल बैंक से अभिप्राय राज्य स्तर पर चिन्हित बैंक से है जो कि ऋण देने वाली शाखाओं के द्वारा ब्याज अनुदान के क्लेम को प्राप्त करेगा तथा वित्त विभाग द्वारा उन्हे उपलब्ध कराये गये कोष में से ऋण देने वाली शाखा को क्लेम राशि उपलब्ध करायेगा तथा निर्धारित MIS को संधारित करेगा।

ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, सचिवालय शाखा जयपुर एवं राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव अपेक्स बैंक जयपुर को योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु 3 किश्तों में राशि का हस्तान्तरण किया जावेगा–

| त्रैमास | बैंकों द्वारा उनकी राज्य नोडल बैंक को क्लेम प्रस्तुत करने की तिथि | प्राप्त क्लेम्स का संबंधित राज्य नोडल बैंकों द्वारा पुनर्भरण करने की तिथि |
|---|---|---|
| अप्रेल, मई, जून का क्लेम | 8 जुलाई तक | 15 जुलाई तक |
| जुलाई, अगस्त, सितम्बर का क्लेम | 8 अक्टूम्बर तक | 15 अक्टूम्बर तक |
| अक्टूम्बर, नवम्बर, दिसम्बर का क्लेम | 8 जनवरी तक | 15 जनवरी तक |
| जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल का क्लेम | 8 अप्रेल तक | 15 अप्रेल तक |

6.3 समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राज्य मुख्यालय अथवा RRBs अपने प्रधान कार्यालय पर अपने बैंक की एक शाखा को राज्य नोडल बैंक शाखा के रूप में चिन्हित करेंगे और इन चिन्हित राज्य नोडल बैंक शाखा की सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, सचिवालय शाखा जयपुर को भेजेगें। उपरोक्त बैंको की समस्त शाखाएँ अपने क्लेम उनकी राज्य नोडल बैंक शाखा को संलग्न निर्धारित प्रपत्र की तीन प्रतियों मे प्रस्तुत करेंगी। संबंधित राज्य नोडल बैंक शाखा प्राप्त क्लेम्स को SBBJ की सचिवालय शाखा जयपुर (राज्य नोडल बैंक शाखा) को पुनर्भरण हेतु प्रस्तुत करेंगी तथा SBBJ की सचिवालय शाखा जयपुर (राज्य नोडल बैंक शाखा) द्वारा प्राप्त क्लेम्स का पुनर्भरण संबंधित राज्य नोडल बैंक को निर्धारित अवधि में कर दिया जावेगा।

6.4 सहकारी बैंकों की शाखाओं द्वारा अपने क्लेम्स उनकी जिला स्तरीय सहकारी बैंकों को बिन्दु संख्या 6.3 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे तथा जिला स्तरीय सहकारी बैंक द्वारा प्राप्त क्लेम्स को इसी प्रक्रिया अनुसार राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक की शीर्ष बैंक (सहकारी क्षेत्र के राज्य नोडल बैंक) को पुनर्भरण हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक की शीर्ष बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंकों से प्राप्त क्लेम्स को क्लेम प्राप्ति के एक माह के भीतर पुनर्भरण किया जायेगा।

6.5 उपरोक्तानुसार क्लेम करने वाली समस्त बैंकों द्वारा पुनर्भरण हेतु उनसे संबंधित SBBJ की सचिवालय शाखा जयपुर (राज्य नोडल बैंक शाखा)/राज्य सहकारी नोडल शीर्ष बैंक को भेजी गई क्लेम की तीन प्रतियों में से दो प्रतियां उनसे संबंधित स्टेट नोडल बैंक को प्रेषित की जायेगी। संबंधित स्टेट नोडल बैंक द्वारा इन दो प्रतियों में एक प्रति निदेशालय महिला अधिकारिता महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर को प्रेषित की जायेगी।

6.6 बैंको द्वारा किये जाने वाले क्लेम्स की वैधानिकता की समस्त जिम्मेदारी क्लेमिंग बैंक की होगी, न कि पुनर्भरण (Reimbursing) बैंक की। क्लेमिंग बैंक द्वारा 5.1 से 5.7 पर उल्लेखितानुसार पात्रता की जांच करके क्लेम हेतु निर्धारित प्रपत्र में उक्त की जांच कर ली, का प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

## स्वयं सहायता समूहों को उचित मूल्य की दुकान का आवंटन

महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु वर्ष 2009–10 में प्रत्येक जिले में 10 स्वयं सहायता समूहों को उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन करने की योजना प्रारम्भ की गयी। चूंकि महिला स्वयं सहायता समूह स्थानीय क्षेत्र के निवासी होते हैं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभार्थियों के बारे में व्यक्तिशः जानकारी रखते हैं, अतः यदि वे उचित मूल्य की दुकान का संचालन करते है तो सुचारू रूप से सही लाभार्थियों को सामग्री का वितरण कर सकते हैं। इससे महिला स्वयं सहायता समूह को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार मिल सकेगा। विभाग द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को दुकान आवंटन होने पर प्रति महिला स्वयं सहायता समूह को रू. 75000/– की कॉर्पस राशि दी जाती है, जिससे कि समूह प्रतिमाह राशन सामग्री का क्रय कर सकते हैं। अब तक 93 स्वयं सहायता समूहों को राशन की दुकानें आवंटित की जा चुकी है। (संलग्न– आवश्यक विवरण)

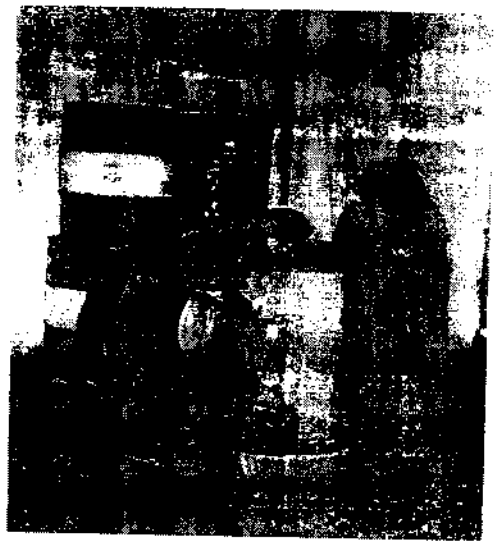

# राजस्थान सरकार
# खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 17(9)खा.वि./विधि/2012 जयपुर, दिनांक 09.02.2015

## उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा–निर्देश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उचित मूल्य दुकानों का कम्प्युटराईजेशन करने के संबंध में पारित आदेश, भारत सरकार के निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानों में महिला समूह व सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से **राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1)** के तहत उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेश/परिपत्र एवं दिशा–निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए नयी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं:–

## आवंटन प्रक्रिया

1. **उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ**

(i) **शहरी क्षेत्र** की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वॉर्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वॉर्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वॉर्डों में से किसी एक वॉर्ड का निवासी होना चाहिए।
**ग्रामीण क्षेत्र** की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वॉर्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है।
उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए **अर्थात उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।**

(ii) आवेदक की "शैक्षणिक योग्यता सामान्य रूप से **स्नातक** एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए"(विशेष परिस्थितियों में ही राज्य सरकार द्वारा छूट देय होगी)। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह शपथ–पत्र भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।

(iii) आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होगें। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा–स्वामित्व–किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जो आवेदक आवेदन के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते, उन्हें छः माह में मापदण्ड पूर्ण किये जाने का वचन–पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि वचन–पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नहीं किये जाते हैं, तो दुकान स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। विशेष परिस्थितियों में ही मापदण्ड पूर्णता अवधि राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम छः माह बढ़ायी जा सकेगी।

(iv) कार्यरत उचित मूल्य दुकानदार को भी अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को अधिकतम एक वर्ष की अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिशा-निर्देश जारी होने के एक वर्ष के भीतर मापदण्ड पूर्ण नही किये जाने पर प्राधिकार पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

(v) उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नही होनी चाहिये। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नही होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है, तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाए।

2. <u>आवेदन पत्र आमंत्रित करना:-</u>

(क) उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु रिक्तियों का निर्धारण कर; जिला कलक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर, इन रिक्तियों का विवरण समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों में जिला जन सम्पर्क अधिकारी के मार्फत प्रेस नोट जारी कर विज्ञप्ति जारी करायेंगे।

(ख) आवेदन पत्र केवल मात्र जिला रसद कार्यालय से जारी किये जायेंगे अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी/बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/- निर्धारित किया जाता है। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का डी.डी. अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर (IPO) जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र का कमांक अंकित करते हुए आवेदक को उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों का रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

(ग) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्त्ता का छायाचित्र लगा होगा।

(घ) समस्त आवेदन पत्रों को सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंषा करने का अधिकार सलाहकार समिति को ही होगा। उचित मूल्य दुकान चयन सलाहकार समिति की अभिशंषा के अनुसार चयनित आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र/उचित मूल्य दुकान तथा गोदाम के ब्लूप्रिन्ट के नक्शों के अनुसार मौके की जांच रिपोर्ट संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की जाकर आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की सत्यता एवं उचित मूल्य दुकान के स्थान एवं गोदाम की उपयुक्तता के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी की जायेगी।

(ड) आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुये एक शपथ पत्र दिया जावेगा :-

(1) आवेदक पूर्व में ई.सी. एक्ट के तहत दण्ड़ित नहीं हुआ है।
(2) आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
(3) आवेदक के परिवार में किसी सदस्य; यथा, माता-पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई उचित मूल्य दुकान नहीं हैं।
(4) आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
(5) आवेदक स्वयं अथवा आवेदक की पत्नी/पति वर्तमान में निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है।

(6) आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित हैं, चाल–चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।

(7) **आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नही होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।**

(च) प्रस्तावित दुकान का नक्शा प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा संवीक्षा के समय प्रमाणित किया जावेगा।

(छ) आवेदक द्वारा संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/– रूपये का हैसियत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।(जो छः माह से अधिक पुराना ना हो)

(झ) आवेदक द्वारा दी गयी सूचनायें गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

**3. जिला स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति:–**

(i) नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंषा करने हेतु निम्न सदस्यों की समिति होगी:–

| | | |
|---|---|---|
| (क) | **जिला कलक्टर अथवा नामिति (अतिरिक्त जिला कलक्टर)** | **अध्यक्ष** |
| (ख) | शहरी क्षेत्र हेतु :– नगर निगम/परिषद्/पालिका के अध्यक्ष/प्रशासक या उनके द्वारा मनोनीत बोर्ड का निर्वाचित सदस्य<br>ग्रामीण क्षेत्र हेतु :– सरपंच | सदस्य |
| (ग) | उप–निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा नामांकित अधिकारी | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| (घ) | सहकारिता विभाग का जिला उप–पंजीयक अथवा सहायक पंजीयक | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| (ङ) | शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के | |
| | (i) सामाजिक कार्यकर्ता — एक | सदस्य |
| | (ii) उपभोक्ता — एक | सदस्य |
| | (iii) महिला उपभोक्ता — एक | सदस्य |
| (ण) | जिला रसद अधिकारी | सदस्य सचिव |

(ii) आवंटन सलाहकार समिति के मनोनीत सदस्यों द्वारा अनियमितता बरतने पर इन्हें हटाये जाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

(iii) आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों से इस बाबत शपथ–पत्र प्राप्त किया जाये कि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों के साक्षात्कार की सूची में उसके परिवार का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है। यदि कोई परिवार का सदस्य साक्षात्कार के लिए पात्र है, तो उक्त चयनकर्ता साक्षात्कार समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा।

(iv) विशेष आमंत्रित सदस्यों को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में तभी आमंत्रित किया जावे, जबकि प्राथमिकता क्रम 4(क) (i), (ii) एवं (iii) के आवेदन प्राप्त हुए हों तथा साक्षात्कार के लिए पात्र हो।

**4. चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता:–**

आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के

समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार दो चरणों में पूर्ण की जावेगी:–

(क) प्रथम वरीयता (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगा:–

(i) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (वृहतर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/ दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

(ii) "महिला स्वयं सहायता समूह, जो, राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है तथा न्यूनतम 3 वर्ष कार्य का अनुभव हो।

(iii) निगमित निकाय

नोट:– आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक का कम्प्युटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

विशेष:– यदि विज्ञापन किये जाने के पश्चात क्रम संख्या (i), (ii) व (iii) के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है, तो उसको प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही आवंटन हेतु निर्धारित प्रकिया अपनायी जावेगी।

(ख) <u>द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)</u>

1. निशक्त जन
2. महिलायें
   (i) शहीद की विधवा, (वीरांगना)
   (ii) विधवा
   (iii) परित्यक्ता
   कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या समकक्ष सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।
3. भूतपूर्व सैनिक।
4. बेरोजगार

(ग) आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था का चयन बहुमत के आधार पर किया जायेगा जिसमें राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को पत्रावली अग्रेषित की जावेगी। ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी।

(घ) किसी उचित मूल्य दुकान के लिए एक ही आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है और वह अर्हताऐं पूर्ण करता है, तो उसका चयन किया जावेगा।

(ड) आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु जिला रसद अधिकारी सहित तीन का कोरम पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

5. अन्य प्रावधान

(i) बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 25 प्रतिशत दुकानें स्थानीय सहरिया आदिम जाति के आवेदकों को प्राथमिकता से आवटित की जावेगी।

(ii) वर्तमान में कार्यरत सभी प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार एक वर्ष की अवधि में कम्पयुटर का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित एक वर्ष की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कम्प्यूटरदक्ष नही होने पर प्राधिकार पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। प्रशिक्षण अवधि (विशेष परिस्थितियों में ही) एक वर्ष के लिये कलक्टर की अनुशंषा पर राज्य सरकार के स्तर पर बढायी जा सकेगी।

(iii) द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य अवधि अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक होगी। यह उम्र की सीमा समस्त व्यक्तिगत उचित मूल्य दुकानदार (पुराने एवं नये) पर लागू होगी।

6. प्राधिकार पत्र जारी करना:–

(i) उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन होने के 07 दिवस की अवधि में सभी संबंधित चयनित आवेदकों को जिला रसद अधिकारी द्वारा उनके उचित मूल्य दुकानदार चयनित होने की सूचना दी जायेगी। संबंधित उचित मूल्य दुकानदार द्वारा निम्न अवधि में निर्धारित आवश्यक औपचारिकताओं का संपादन किया जायेगा:–

| क्र सं | कार्य का विवरण | निर्धारित अवधि |
|---|---|---|
| 1 | प्रतिभूति राशि जमा कराना | चयन आदेश जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस |
| 2 | उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्राधिकार पत्र प्राप्त करना | प्रतिभूति राशि जमा कराने की तारीख से अधिकतम 15 दिवस |
| 3 | उचित मूल्य दुकानदार द्वारा वितरण कार्य प्रारंभ करना | प्राधिकार प्राप्त करने की तिथि से अधिकतम एक माह |

(ii) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद अधिकतम एक माह का रियायत अवधि काल (Grace period) जिला कलक्टर द्वारा बढाया जा सकेगा। रियायत काल की समाप्ति के पश्चात ऐसे प्रकरणों को राज्य सरकार के निर्णयार्थ प्रेषित किये जायेगे।

(iii) चयनित अभ्यर्थियों को जिला कलक्टर द्वारा फोटो युक्त प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा जिसके साथ उचित मूल्य दुकानदार का परिचय पत्र भी जारी किया जायेगा।

(डॉ0 सुबोध अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
3 समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4 समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
5 समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
6 समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग (मुख्यालय), जयपुर।
7 रक्षा पत्रिका।

(जस्साराम चौधरी)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त